817267/2022/ESZ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240869
CG-DL-E-07122022-240869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5470] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944
No. 5470] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5702(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्या 608 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 2 के, उप-पैरा (1) में, "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(II) पैरा 3 के, उप-पैरा (11) में, " पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति" शब्द रखे जाएंगे;

(III) पैरा 5 के, उप-पैरा (3) में, "केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 25/32/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii), में अधिसूचना का.आ.संख्या 608(अ), तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

S.O. 5702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 608(E), dated the 24th February, 2015, namely:-

In the said notification,-

(I.) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, "*Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India*", the words "*Competent Authority of the State Government for its effective implementation*" shall be substituted;

(II.) in paragraph 3, in sub-paragraph (11), for the words and letters, "*Ministry of Environment, Forests and Climate Change, the SESZMC*", the words "*Competent Authority of the State Government, the SESZMC*" shall be substituted;

(III.) in paragraph 5, in sub-paragraph (3), for the words, "*Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change*", the words "*Central Government or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be*" shall be substituted.

[F. No. 25/32/2013-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification S.O. number 608 (E), dated the 24th February, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.